अपील सूचना अधिकार संख्या 24/2018 अनवानी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम जाति ब्राह्मण गांव खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्त0), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

09 –05–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से सूचना प्राप्त नहीं हुई।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष पांच बिन्दुओं की सूचनाएं चाही थी जो उसे निश्चित समय में उपलब्ध न करवाने के कारण उसके द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पेश की गई है और प्रार्थना की गई है कि लोक सूचना अधिकारी पर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ढाई सौ रूपये प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाये और उसे वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे।

लोक सूचना के अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 06.03.2018 में अपने प्रार्थना पत्र 2344 दिनांक 30.06.2017 के संदर्भ में जिला जन अभाव अभियोग जिला निराकरण सतर्कता समिति सुनवाई प्रकरण दिनांक 13.07.2017 के सम्बन्ध में बिदु संख्या 01 से 05 पर की गई कार्यवाही मय रिपोर्ट/प्रतिवेदनप सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट की प्रमाणित शुदा नकल। प्रार्थना पत्र दिनांक 30.06.2017 में 1 ता 5 बिन्दु निम्न प्रकार से है :

1. प्रकाश भादु पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी खांटा अहाता संख्या 51 के निवासी है साईज पूर्व भुजा 36 फुट पश्चिम भुजा 40 फुट उतरी भुजा 73 फुट दक्षिण 72 फुट है उक्त अहाता की पश्चिम एवं दक्षिण भुजा पर गांव का गुवाड अहाता संख्या 45 है जिस पर काफी बड़े भू–भाग पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है।
2. देवीलाल पुत्र लुणारा जाति जाट निवासी खांटा द्वारा अहाता संख्या 50 सार्वजनिक जगी एंव सरकारी जगह पर अहाता संख्या 53 पर अतिक्रमण कर रखा है।
3. राजाराम पुत्र तारूराम जाति जाट निवासी खांटा अहाता संख्या 51 का निवासी है जिसका गांव के गुवाड व अहाता संख्या 50 पर सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण कर रखा है।
4. जगदीश पुत्र लेखराम स्याग द्वारा गांव खांटा के अहता संख्या 50 सार्वजनिक जगह पर अतिक्रमण कर रखा है।
5. राजेश कुमार पुत्र कृष्णलाल जाति जाट द्वारा गली नम्बर 47 के पश्चित भाग पर निर्माण किया गया है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सतर्कता/2017/39 दिनांक 26.04.2018 से सूचित किया है कि प्रार्थी मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2018 को प्रभारी अधिकारी, जन–सुनवाई शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भेजा जा चुका है। प्रभारी अधिकारी, जन–सुनवाई शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी वांछित न तो उपलब्ध करवाई गई है और न कोई उत्तर दिया गया है, जबकि इस सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैं:

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> :

(1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7 (1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं और लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में 10 दिवस में निमयानुसार निर्णय किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर एवं प्रभारी अधिकारी, जन–सुनवाई शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। यह आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर